UPRB010033742026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– कुशलपाल,

(एच जे एस)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1412/2026</u>

स्वयम्बर उर्फ गोलू उम्र 21 वर्ष पुत्र राज नारायण, निवासी ग्राम उम्मेद खेड़ा, थाना मौरावां, जिला उन्नाव।

..प्रार्थी/अभियुक्त।

प्रति

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

....विपक्षी/अभियोगी।

<u>दिनांक 29.05.2026</u>

आवेदक–अभियुक्त स्वयम्बर उर्फ गोलू की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या **46/2026 धारा–309(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता**, थाना **नसीराबाद**, जिला **रायबरेली** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हरिकेश कुमार द्विवेदी थाना नसीराबाद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में इस आशय की दर्ज करायी गयी कि 10.03.2026 को समय करीब 4.00 बजे दिन में अपनी चचेरी बहन श्रीमती रेनू पुत्री राम मिलन द्विवेदी ग्राम मूधी थाना जामा जनपद अमेठी से लड़की की शादी के बाद घर आ रहा था। मेरे घर में लगभग दो सौ मीटर की दूरी पर बाग के पास काली अपाची से सवार दो लोग पीछे से आये, मेरी गाड़ी बाइक को ओवरटेक कर मुझे गिरा दिये। तत्पश्चात मेरी पत्नी के गले से लाकेट(मंगलसूत्र) व एक की झुमकी पूरी तथा तथा दूसरे कान की लटकी रही झुमकी तोड़ लिए। प्रार्थी जब तक कुछ समझ पाता दोनों बदमाश बांदूक से उत्तर दिशा की ओर भाग गये। अतः सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करकने का निवेदन किया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि आवेदक–अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। प्राथी/अभियुक्त को गलत तथ्यों के आधार पर नामित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना की पुलिस

द्वारा जबरदस्ती झूठे मुकदमें में नामजद करते हुए फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं था। अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है। कथित बरामदगी से उसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त ज्यादा दिन तक जेल में निरूद्ध रहा तो उसका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर आ जायेगा। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 25.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियुक्त की ओर से यह बहस की गयी कि अभियुक्त निर्दोष व्यक्ति है। उपरोक्त अपराध में उसे फर्जी एवं झूठा फँसाया गया है। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुयी है। पुलिस द्वारा दिखायी गयी बरामदगी फर्जी एवं झूठी है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त ज्यादा दिन तक जेल में निरूद्ध रहा तो उसका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर आ जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं हैं। अतः अभियुक्त जमानत का हकदार है।

अभियोजन की और से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त गोलू उर्फ स्वयम्बर व सूरज रावत एवं पुलिस के मध्य दिनांक 25.03.2026 को हुयी मुठभेड़ के पश्चात मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित पर्याप्त साक्ष्य एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अभियुक्त गोलू उर्फ स्वयम्बर उर्फ गोलू पर्याप्त साक्ष्य एवं बरामदगी है। अभियुक्त गोलू उर्फ स्वयम्बर उर्फ गोलू अपअने साथी सूरज रावत के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त की घटना 11.03.2026 को कारित किया है, जिसकी बरामदगी व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेगा। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

आवेदक–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के परशीलन से यह दर्शित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त के पास से रूपये एवं बिना नम्बर प्लेट की मोटरसायकिल के अतिरिक्त अन्य कोई माल बरामद नहीं हुआ है, जो लूटा जाना कहा है। वादी द्वारा लाकेट व झुमकी की कोई विशिष्ट पहचान अंकित नहीं किया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त की संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को नामित किया गया है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये, प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का उचित एवं पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक–अभियुक्त **स्वयम्बर उर्फ गोलू** को अपराध संख्या **46/2026** धारा– **309(4), 317(2) भारतीय न्याय संहिता 2023,** थाना **नसीराबाद,** जिला **रायबरेली** के मामले में, उसके द्वारा **पच्चीस हजार** रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक–अभियुक्त दौरान साक्ष्य साक्षी/साक्ष्य से छेड़खानी नहीं करेगा ।

2– यह कि आवेदक–अभियुक्त इस आशय का वचन दाखिल करेगा कि अभियोजन साक्षी के उपस्थित होने पर साक्ष्य की तिथियों में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र योजित नहीं करेगें और यदि अभियुक्त के द्वारा स्थगन प्रार्थनापत्र दिया जाता है तो सम्बन्धित न्यायालय उक्त स्थगनको वचन भंग मानते हुये जमानत का दुरूपयोग मानकर विधि अनुसार अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु अधिकृत होगा।

3– यह कि आवेदक–अभियुक्त प्रत्येक परिस्थिति में सम्बन्धित परीक्षण न्यायालय में निम्न वर्णित स्तर पर सकारात्मक रूप से उपस्थित रहेगा–

I. परीक्षण प्रारम्भ होने के स्तर पर।

II. आरोप गठित होने की तिथि में।

III. बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० कलमदर्ज होने की तिथि में।

उपरोक्त तीनों स्तर पर यदि आवेदक–अभियुक्त की अनुपस्थिति बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अथवा जानबूझकर कारित पायी जाती है तब परीक्षण न्यायालय को उक्त अनुपस्थिति को जमानत की शर्तों का उल्लंघन मानते हुये विधि अनुसार जमानत निरस्त करते हुये प्रभावी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

कुशलपाल)
UPID 06165
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
29.05.2026

आशुलिपिक
रघुराजा